कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक -2447 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक 25/07/.2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 584/2012 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला में नारायण आश्रम से पस्ती जयकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.1107 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 12982/2015।

संदर्भ :- भारत सरकार की पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/205/2019/एफ0सी0/227 दिनांक 24.05.2025।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकारण कर प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़ के पत्रांक 55/12-1 दिनांक 02.07.2025 द्वारा सूचित किया गया है, जिसे आपके सूचनार्थ सादर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

**संलग्न- यथोपरि।**

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

o/c

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः– 55 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 2 जुलाई, 2025 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में मा0मु0घो0 संख्या 584/2012 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में नारायण आश्रम से पस्ती जयकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.1107 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/12982/2015)।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/205/2019/एफ0सी0/227 दिनांक 24.05.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उच्च स्तर से उल्लिखित कमियों का प्रस्तावक विभाग स्तर से निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्नवत् प्रेषित हैः–

| S.NO. | आपत्ति | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | Reason of dalays in the proposa; as desired to be provided vide point 1 of the EDS letter dt. 14-01-2020 in not found satisfactory. Further the comment in nature and scope of the project in view guideline para 1.20 of the hand book is required to be provided by the State Government. | बिन्दु सं0 01 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि "नारायण आश्रम से पस्ती जयकोट मोटर मार्ग में ग्राम–सोसा के तोक नारायण आश्रम, नयन एवं पस्ती जिसकी आबादी 1020 है, जो मोटर मार्ग से वंचित है, जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु बार–बार अनुरोध किया जा रहा है। उक्त मोटर मार्ग निर्माण होने के फलस्वरूप उक्त गांव मोटर मार्ग से जुड़ जायेगा एवं ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा प्राप्त होगी। गांव का पलायन रूकेगा। जिस हेतु मोटर मार्ग निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा वृक्षों की गणना 9.00 से 7.00 मी0 में करने हेतु आपत्ति लगाई गयी थी, वृक्षों की गणना आदि कार्य के कारण आपत्ति का निराकरण करने में विलम्ब हुआ।" |
| 2. | The separate tree enumeration for the area of the muck dumping is required to be provided. | मलवा निस्तारण में वृक्षों की सूची पृथक तैयार कर अपलोड कर दी गई है (सूची संलग्न)। |
| 3. | The employment details as desired vide point 8 of the EDS is not yet corrected in online portal. State Governement is requested to provide the correct employment detail at para B in part I. | प्रस्तावक विभाग द्वारा employment details पार्ट–। में सही कर अपलोड कर दिया गया है। |
| 4. | The CA area has now been corrected but after DSS analysis of the same, the 1.0 ha area out of 4.22 ha area is found MDF. The State Govt. is requested to plant the balance seedings in degraded forest land as per the provisions of working plan. Therefore, it is requested to provide name of the RF/PF in which balance seedlings of 1000 in number will be planted against this 1 ha MDF. | प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर उपयुक्तता सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है (संलग्न)। |
| 5. | The tree enumeration is still not clear as various tree lists are found uploaded in online portal in Part –I and II. The State Govt. is requested to replace all tree enumeration with the correted copy and a seprate tree enumeration is requested to be provided for 7m width and 9 m width. | वृक्षों की गणना 7.00 मी0 चौड़ाई में कर पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है (सूची संलग्न)। |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | In the KML file it is seen that the road cutting work from the right side of the target village has been initiated in the year 2020 which can be extended up to the target village. It is because the village on the starting point of the proposed road is already connected to the existing road. Further, the complete details viz name of the road, date of approval under the provison of FCA 1980 etc. for the road in which cutting work is seen to be initiated around year 2020 are required to be provided to this office. | प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि "मोटर मार्ग का प्रारम्भ बिन्दु तवाघाट नारायण आश्रम मोटर मार्ग ग्राम सोसा तोक नारायण आश्रम से प्रारम्भ होकर ग्राम सोसा के तोक नयन को जोड़ते हुए पस्ती में समाप्त होता है। के0एम0एल0 फाईल में गस्कू से जीमाफी कुरीला पी0एम0जी0एस0वाई0 के द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है। जिसमें उक्त ग्राम मोटर मार्ग से 2.00 किमी0 दूरी पर स्थित होने के कारण मोटर मार्ग से ग्राम सोसा के तोक नयन एवं पस्ती मोटर मार्ग से वंचित है। जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु बार–बार अनुरोध किया जा रहा है। जिस हेतु मोटर मार्ग निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है। साथ ही साथ प्रस्तावित मोटर मार्ग ग्राम सोसा एवं जयकोट को दोहरी संयोजकता प्राप्त होगी तथा व्यास घाटी एवं चौदास घाटी मोटर मार्ग निर्माण से संयोजकता प्राप्त होगी।" |
| 7. | In view of the point 6 above the detailed inspection note of the concerned DFO is also requested to be furnish. | प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित है। |
| 8. | As per the KML file of the proposed road the main habitation can be seen at village Jaikot and this village could easily be connetcted by extending the existing road through non-forest/less vegetated area. Therefore the proposed road does not seem to be justified. State Governemnt is requested to submit detailed comments in this regard. | प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि "के0एम0एल0 फाईल के अनुसार ग्राम जयकोट पी0एम0जी0एस0वाई0 मोटर मार्ग से जुड़ चुका है, परन्तु जयकोट से पस्ती नयन को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग प्रस्तावित है। पस्ती नयन तोक मोटर मार्ग से नहीं जुड़ी है। जिस हेतु जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु बार–बार अनुरोध किया जा रहा है। जिस हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है।" |

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रपत्र 04 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

संलग्नः– यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

**संख्याः– /12–1 दिनांकित।**

**प्रतिलिपिः–** प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।